यूनिफॉर्म सिविल कोड-बहस, स्थिति

लेखक- फैजान मुस्तफा (संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

18 सितम्बर, 2019

"सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस को वापस सुर्खियों में ला दिया है। इस आलेख में हम इस संहिता के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं उस पर नजर डालेंगे।"

पिछले सप्ताह, गोवा के लोगों के संपत्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबसे बेहतर 'उदाहरण' के रूप में वर्णित किया और पाया कि संविधान के संस्थापकों ने भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता की आशा और अपेक्षा की थी, लेकिन किसी ने भी इसे तैयार करने का प्रयास नहीं किया।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता उसे कहते है जो पूरे राज्य के लिए एक ही कानून प्रदान करे, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों में लागू हो, जैसे कि विवाह में, तलाक में, विरासत या संपत्ति में, गोद लेने में आदि। संविधान का अनुच्छेद 44 यह बताता है कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में से एक है। ये, जिसे अनुच्छेद-37 में परिभाषित किया गया है, न्यायसंगत नहीं हैं (किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं), लेकिन इसके लिए निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू करने योग्य हैं। शासन के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है मौलिक आधारों को कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकते है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य प्रयास करेगा जबकि दूसरे अनुच्छेद कहते है विशेष तौर पर प्रयास करेगा। इन सभी का तात्पर्य यह हुआ कि अनुच्छेद 44 की तुलना में राज्य का कर्त्तव्य अन्य नीति निदेशक सिद्धांतों में अधिक है।

अधिक महत्त्वपूर्ण क्या हैं - मौलिक अधिकार या नीति निदेशक सिद्धांत?

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक अधिकार अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स (1980) मामले में कहा था कि "भारतीय संविधान की स्थापना भाग III (मौलिक अधिकारों) और IV (नीति निदेशक सिद्धांतों) के बीच संतुलन पर आधारित है। इसलिए किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक अधिकार देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ सकता है।" हालांकि, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 31सी यह बताता है कि यदि किसी भी नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

क्या भारत के पास नागरिक मामलों में पहले से एक समान संहिता नहीं है?

भारतीय कानून अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं - भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल-विक्रय अधिनियम, संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। हांलाकि, राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए कुछ मामलों में, इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता है। हाल ही में, कई राज्यों ने एक समान मोटर वाहन अधिनियम, 2019 द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया।

यदि संविधान के निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता रखने का इरादा किया होता, तो उन्होंने इस विषय को संघ सूची में शामिल करके, व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया होता। लेकिन 'व्यक्तिगत कानूनों' का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। पिछले साल, विधि आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि एक समान नागरिक संहिता न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

क्या किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए अपने सभी सदस्यों को नियंत्रित करने वाला एक सामान्य व्यक्तिगत कानून है?

राज्य के सभी हिंदू एक कानून द्वारा शासित नहीं हैं और न ही सभी मुस्लिम या सभी ईसाई किसी एक कानून से शासित हैं। न केवल ब्रिटिश कानूनी परंपराएं, यहां तक कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी भी कुछ हिस्सों में सक्रिय हैं।

जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त, 2019 तक, स्थानीय हिंदू कानून केंद्रीय अधिनियमों से भिन्न थे। 1937 के शरीयत अधिनियम को कुछ साल पहले जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित किया गया था लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार कश्मीर के मुसलमान एक प्रथागत कानून द्वारा शासित थे, जो कई मायनों में बाकी देशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ भिन्नता पर था और वास्तव में, हिंदू कानून के करीब था। यहां तक कि मुसलमानों के बीच विवाह के पंजीकरण पर, कानून जगह-जगह से भिन्न होते हैं। यह जम्मू और कश्मीर (1981 अधिनियम) में अनिवार्य था और बंगाल, बिहार (1876 अधिनियम के तहत), असम (1935 अधिनियम) और ओडिशा (1949 अधिनियम) में वैकल्पिक है।

पूर्वोत्तर में, 200 से अधिक जनजातियां अपने स्वयं के विविध प्रथागत कानूनों के साथ हैं। संविधान नागालैंड में स्थानीय रीति-रिवाजों की रक्षा करता है। इसी तरह की सुरक्षा मेघालय और मिजोरम में की जाती है। यहां तक कि हिंदू कानून में सुधार, संहिताकरण के बावजूद, प्रथागत प्रथाओं की रक्षा करता है।

एक समान नागरिक संहिता का विचार धर्म के मौलिक अधिकार से कैसे संबंधित है?

अनुच्छेद 25 किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है; अनुच्छेद 26 (ख) प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी हिस्से को 'धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन' करने का अधिकार देता है; अनुच्छेद 29 विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति की धर्म की स्वतंत्रता 'सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता' और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है, लेकिन अनुच्छेद 26 के तहत एक समूह की स्वतंत्रता अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है।

संविधान सभा में, मौलिक अधिकार अध्याय में यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल करने के मुद्दे पर मतभेद थे। मामला एक वोट से तय हुआ। 5: 4 बहुमत से, सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप-समिति ने माना कि यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर था और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्म की स्वतंत्रता से कम महत्वपूर्ण बनाया गया।

संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों के बारे में क्या विचार था?

कुछ सदस्यों ने राज्य विनियमन से मुस्लिम पर्सनल लॉ को सुरक्षित करने की मांग की। मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने तीन बार मुस्लिम पर्सनल लॉ को अनुच्छेद 44 से मुक्त करने का असफल प्रयास किया, ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को लोगों के व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बी. पोकर साहब ने कहा कि उन्हें हिंदू संगठनों सहित विभिन्न संगठनों के एक समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रतिनिधित्व मिला है। हुसैन इमाम ने सवाल किया कि क्या भारत जैसे विविध राज्य में कभी भी व्यक्तिगत कानूनों की एकरूपता हो सकती है।

बी. आर अम्बेडकर ने कहा कि 'कोई भी सरकार अपने प्रावधानों का इस तरह उपयोग नहीं कर सकती है जो मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए मजबूर करे।' अल्लादी कृष्णस्वामी, जो एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, ने माना कि किसी भी समुदाय के मजबूत विरोध को अनदेखा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नासमझी होगी। इन बहसों में लैंगिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया था।

हिंदुओं के लिए एक समान संहिता पर बहस कैसे चली?

जून 1948 में, संविधान सभा के अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी दी कि व्यक्तिगत कानून में 'बुनियादी परिवर्तन' शुरू करना, पूरे हिंदू धर्म पर 'सूक्ष्म अल्पसंख्यक' के 'प्रगतिशील विचारों' को लागू करना था। हिंदू कानून में सुधारों का विरोध करने वाले अन्य लोगों में सरदार पटेल, पट्टाभि सीतारमैय्या, एम. ए. अयंगर, एम. एम मालवीय और कैलाश नाथ काटजू शामिल थे।

दिसंबर 1949 में जब हिंदू कोड बिल पर बहस शुरू हुई, तो 28 में से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया। 15 सितंबर, 1951 को, राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने विधेयक को संसद में वापस करने या इसे वीटो करने की अपनी शक्तियों का उपयोग करने की धमकी दी। अंबेडकर को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू ने संहिता को अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की और कई प्रावधानों को कमजोर बनाया।

समान नागरिक संहिता

क्या है?

- संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा'।
- देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो समान नागरिक संहिता में उनके लिए एक समान कानून होता है।
- समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक तथा जमीन-जायदाद के बँटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं।
- इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं।
- मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना-अपना पर्सनल लॉ है जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।

पक्ष में तर्क

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रविष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है।
- मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणाओं के बीच लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियाँ भी व्याप्त हैं।
- विधि के शासन के अनुसार, सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होनी चाहिये लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहा है।
- इस प्रकार समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है।
- सामाजिक संस्कृति के सम्मान के नाम पर किसी वर्ग की राजनीतिक समानता का हनन करना संविधान के साथ-साथ संस्कृति और समाज के साथ भी अन्याय है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति तथा सभ्यता के मूलभूत नियमों के तहत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होता है लेकिन समय के साथ इन नियमों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर असमानता उत्पन्न कर दी जाती है।
- धार्मिक रुढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिये। साथ ही, विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिये।
- वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्त्वपूर्ण हो गई है, इसलिये उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्त्व तथा समाज के लिये अहितकर है।
- राजनीतिक लाभ के कारण कई बार सरकारें इन धार्मिक मुद्दों में छेड़छाड़ से बचती हैं, इसलिये सरकारों को भी ऐसे मामलों को धार्मिक मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत अधिकारों की दृष्टि से देखना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिये गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है इसलिये सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र एवं गंभीर प्रयास करने चाहिये।

विपक्ष में तर्क

- समान नागरिक संहिता का मुद्दा किसी सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दे से हटकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, इसलिये जहाँ एक ओर कुछ राजनीतिक दल इस मामले के माध्यम से राजनीतिक तुष्टिकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दल इस मुद्दे के माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं।
- हिंदू या किसी और धर्म के मामलों में बदलाव उस धर्म के बहुसंख्यक समर्थन के बगैर नहीं किया गया है, इसलिये राजनीतिक तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ ही धार्मिक समूहों के स्तर पर मानसिक बदलाव का प्रयास किया जाना आवश्यक है।
- सामासिक संस्कृति की विशेषता को भी वरीयता दी जानी चाहिये क्योंकि समाज में किसी धर्म के असंतुष्ट होने से अशांति की स्थिति बन सकती है।

आवश्यकता क्यों?

- अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे।
- शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं।
- सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी और जिस देश के नागरिकों में एकता होती है वहाँ किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता है वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
- देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विचार करने को कहा। समान नागरिक संहिता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. संविधान के अनुच्छेद-46 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है।
   2. समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक है।
   3. अनुच्छेद- 31(C) में यह प्रावधान है कि किसी भी नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद-14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Recently the Supreme Court asked the government to consider the implementation of Uniform Civil Code. With reference to the Uniform Civil Code, consider the following statements-**

   1. The Uniform Civil Code is mentioned in Article 46 of the Constitution.
   2. Uniform Civil Code is one of the Directive Principles of State Policy.
   3. Article 31 (C) provides that any law made to implement any Directive Principles cannot be challenged on the grounds of violation of Articles 14 and 19.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 1 and 3
   (c) 2 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'समस्त भारत में समान नागरिक संहिता का लागू न होना, संवैधानिक जटिलता कम, राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी ज्यादा है।' हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की समान नागरिक संहिता को लेकर की गई टिप्पणी के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. "Non-implementation of Uniform Civil Code in India has to do less with constitutional complexity, but more with lack of political will." Examine this statement in the context of a recent Supreme Court comment on the Uniform Civil Code. (250 Words)

नोट : 17 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।